

अन्तिम डिकरी व मुकदमे इब्तादाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाम्ना दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बड़जलास जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस

त्रिलोकाराम

बनाम

हीरालाल आदि

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 33/दावा/2012

निर्णय दिनांक 29.10.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड़, आरएएस बहाजरी श्री मूलचन्द धायल वकील मिनजानिब मुद्दई व सर्वश्री — मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, तहसीलदार, दांतारामगढ के पत्रांक भूअ/15/5247 दिनांक 15.08.2015 के द्वारा प्राप्त बंटवारा स्कीम मय नक्शा प्राप्त होने पर अंतिम डिकरी निम्न प्रकार से दी जाती है:-

1- ग्राम हनुमाननगर (पचार)

खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1. त्रिलोकाराम पुत्रश्री गोरुराम जाति कुमावत सा.देह राहिन आर.जी.बी. शाखा पचार मूर्तहीन	883/2	0.75 है०	बा.तृतीय	2.25
	किता- 1	0.75 है०	बा.तृतीय	2.25
2. हीरालाल पुत्रश्री गोरुराम हि. 75/224 चोगानी देवी धर्मपत्नी श्री हीरालाल हि. 51/112 कज्जूराम पुत्र मंगलाराम हि. 47/224 जाति कुमावत सा.देह खातेदार	883/1	2.24 है०	बा.तृतीय	6.72
	किता- 1	2.24 है०	बा.तृतीय	6.72
3. हीरालाल, त्रिलोकाराम पि. गोरुराम हि.ब.हि. 1/2 चोगानी देवी धर्मपत्नी हीरालाल हि. 24/35, कज्जूराम पुत्र मंगलाराम हि. 11/35 दर.हि. 1/2 जाति कुमावत सा.देह खातेदार (त्रिलोकाराम का हि. राहिन आर.जी.बी. शाखा पचार मूर्तहीन)	871	0.16 है०	बासनी .3	0.48
	880	0.18 है०	बारानी 3	0.54
	881	0.20 है०	गै.मु.रास्ता	—
	किता- 3	0.54	—	1.02

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 अक्टूबर, 2015 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ  
दस्तखत  
ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	8	00	स्टाम्प वकायलतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिफ		
मुतफरिफ	4	00			
मीजान	11	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा र दो फरीफेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलारा जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या- 33/12/दावा

त्रिलोकाराम पुत्रश्री गोरुराम जाति कुमावत उम्र 60 साल निवासी ग्राम पचार तहसील  
दांतारामगढ जिला सीकर

-वादी

ब न म

1. हीरालाल पुत्रश्री गोरुराम उम्र 62 वर्ष
2. चौगानी देवी धर्मपत्नी श्री हीरालाल उम्र 58 वर्ष
3. कज्जूराम पुत्रश्री मंगलाराम उम्र 50 वर्ष

समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

4. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर
5. पटवारी, पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति-

1. श्री मूलचन्द धायल वकील वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक- 29.10.2015

(जगदीश प्रसाद गौड़)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ